

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / संरक्षण / 2018 / 653

भोपाल, दिनांक 25-1-2018

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्र संचालक/संचालक
3. समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक वन विकास निगम
4. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)
5. समस्त मंडलप्रबंधक वन विकास निगम मध्यप्रदेश।

विषय:— बाघ एवं अन्य वन्यप्राणियों द्वारा पशु हानि किये जाने बावत्।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि आपके अधीनस्थ क्षेत्रों में यदि वन्यप्राणी बाघ व अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों द्वारा पशु हानि की घटना प्रकाश में आती है तो उसके संबंध में एनटीसीए द्वारा पूर्व में जारी एस.ओ.पी. का पालन करते हुये घटना के संबंध में कार्यवाही करे। यह एसओपी वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (https://www.mpforest.gov.in/img/files/G_Tiger_Active_Mgmt.pdf)

एस.ओ.पी. के अनुसार जिन परिस्थितियों में मृत पशु के शरीर को जलाया जाना है, वहाँ मृत पशु के शरीर को जलाने के समय परिक्षेत्र सहायक से अनिम्न स्तर के वन विभाग के शासकीय सेवक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।



(जितेन्द्र अग्रवाल)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्य प्राणी)

भोपाल, दिनांक 25-1-2018

पृष्ठा. क्रमांक / संरक्षण / 2018 / 654

प्रतिलिपि :-

1. प्रबन्ध संचालक राज्य वन विकास निगम मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्य प्राणी)